XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने, भर्ती और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, गतिशील और बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप, क्षमताएं विकसित करने हेतु अपने मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रखा। उत्कर्ष[1] 2.0 के तहत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और रिज़र्व बैंक में आंतरिक जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कामकाज के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की गई है जिसमें अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। यह 2024-25 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में परिणामों का मूल्यांकन करता है और वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने के अलावा, नई भर्तियों के माध्यम से अनुकूल कार्य वातावरण बनाने, आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल वृद्धि, मेंटरिंग नीति (*सबल*) को परिष्कृत करने और कर्मचारियों के लिए नियमित टाउनहॉल मीटिंग (*वार्तालाप*) आयोजित करने के साथ-साथ मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान कई पहल की। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में, वर्ष 2024-25 के दौरान वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन समारोह से हुई। स्मरणोत्सव का समापन 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में एक कार्यक्रम के साथ हुआ जिसमें मुख्य अतिथि भारत की माननीया राष्ट्रपति थीं।

XI.3 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने जोखिम ढांचों की शुरुआत, मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ बनाने और जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता के प्रचार के माध्यम से, रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के अधिक व्यापक प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय समकालिक समूह आकलन में परिचालन जोखिम प्रबंधन परिपक्वता का उच्चतम रेटिंग स्तर प्रदान किया गया।

XI.4 वर्ष के दौरान, निरीक्षण विभाग ने जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से अभिशासन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। विभाग ने मौजूदा आरबीआईए ढांचे को ठीक किया और जोखिम स्कोरिंग पद्धति को समायोजित (कैलिब्रेट) किया। विशेष रूप से, विभाग ने वर्ष 2025-26 के अपने नियोजित कार्यक्रम से एक साल पहले सभी लेखा परीक्षाओं को लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) में एकीकृत किया।

XI.5 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) ने रिज़र्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों

[1] *उत्कर्ष* रिज़र्व बैंक का मध्यावधिक कार्यनीति ढांचा है, जो रिज़र्व बैंक के अधिदेश के कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों और अन्य संस्थानों के विश्वास को मजबूत करने के लिए उभरते व्यापक आर्थिक वातावरण के अनुरूप है। *उत्कर्ष* 2.0 जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि को कवर करता है, जबकि *उत्कर्ष* 1.0 के तहत लक्ष्य जून 2019 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए थे।

(टीएससीए) की त्रैवार्षिक समीक्षा की। विभाग ने *उत्कर्ष* 2.0 की मध्यावधिक समीक्षा भी की और बजट इकाइयों के लिए रेटिंग ढांचे को अद्यतन किया।

XI.6 राजभाषा विभाग ने राजभाषा नीति और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। इसने अपनी वेबसाइट पर रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों के द्विभाषीकरण को प्राथमिकता दी, और इसके प्रमुख प्रकाशनों अर्थात् *'कृति-अनुकृति'* (आरबीआई के भीतर) और *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* (वित्तीय संस्थानों के लिए) के माध्यम से हिंदी में मूल लेखन को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।

XI.7 परिसर विभाग ने पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने अधिदेश का पालन किया। विभाग ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से अक्षय ऊर्जा पैदा करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

XI.8 यह अध्याय नौ खंडों में व्यवस्थित है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित गतिविधियां खंड 2 में दी गई हैं। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान एचआरएमडी द्वारा की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रगति खंड 4 में प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण विभाग और सीएसबीडी की गतिविधियों पर क्रमशः खंड 5 और 6 में चर्चा की गई है। राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है, और खंड 9 में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. अभिशासन संरचना

XI.9 केंद्रीय निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अभिशासन का कार्य सौंपा गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर और केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार चार स्थानीय बोर्डों के लिए सदस्यों की नियुक्ति भी करती है जो बोर्ड द्वारा उन्हें भेजे गए मामलों पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी); वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस); और भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप-समितियां हैं जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक गैर-आधिकारिक निदेशक करते हैं: लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस); मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी); भवन उप-समिति (बी-एससी); सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्ड

XI.11 वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्रीय बोर्ड ने सात बैठकें आयेजित कीं। सीसीबी ने 45 बैठकें की, जिनमें से 33 ई-बैठकों के रूप में और 12 व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गईं। सीसीबी रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार को देखता है, जिसमें इसका साप्ताहिक स्तिथि विवरण का अनुमोदन भी शामिल है।

XI.12 वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति, जिसमें दो गैर-आधिकारिक निदेशक शामिल थे, ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के बदले कार्य किया। स्थायी समिति ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और

दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की (अनुलग्नक सारणी XI.1-4)।

XI.13 श्री शक्तिकान्त दास ने 10 दिसंबर 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया और केंद्र सरकार ने श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(ए) के तहत 11 दिसंबर 2024 से तीन साल की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया।

XI.14 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्टूबर 2024 से एक और वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.15 डॉ. माइकल देवब्रत पात्र ने 14 जनवरी 2025 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।

XI.16 केंद्र सरकार ने डॉ. पूनम गुप्ता, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली, को पद संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। डॉ. पूनम गुप्ता ने 2 मई 2025 को कार्यभार संभाला।

XI.17 केंद्र सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2025 से अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की और अवधि के लिए उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में पुनःनियुक्त किया।

XI.18 केंद्र सरकार ने श्री नागराजू माद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के तहत 30 अगस्त 2024 से और अगले आदेश तक डॉ. विवेक जोशी के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 कार्यपालक निदेशक श्री दीपक कुमार 30 अप्रैल 2024 को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए। कार्यपालक निदेशक श्री आर. सुब्रमण्यम 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए; श्री सौरव सिन्हा 28 जून 2024 को; श्री मनोरंजन मिश्रा 30 सितंबर 2024 को; डॉ. ओ. पी. मल्ल और श्री मनीष कपूर 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए। श्री आर. लक्ष्मी कांत राव को 9 मई 2024; श्री अर्णब कुमार चौधरी 3 जून 2024 को; श्रीमती चारुलता एस. कर को 1 जुलाई 2024 को; श्री अविरल जैन 1 को अक्टूबर 2024; डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी को 3 मार्च 2025 को और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य को19 मार्च 2025 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. मानव संसाधन विकास पहलें

XI.20 रिज़र्व बैंक के पास परिचालनों का एक विस्तृत कैनवास है, जिसके लिए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान, विभाग का ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर ध्यानकेंद्रित रहा।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.21 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- खेलों के लिए विजन दस्तावेज में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खेल संबंधी गतिविधियों को ध्यानकेन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने की पहलों का उल्लेख किया

गया है। दस्तावेज़ की समीक्षा और उसे नया स्वरूप दिया जाएगा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.22];

- रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों को विकास केंद्र कार्यशालाओं (डीसीडब्ल्यू) से अवगत कराया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी मुख्य दक्षताओं और अन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है, और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के रूप में फीडबैक प्रदान किया जाता है। डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन की समीक्षा कर इसे नवीकृत किया जाएगा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.23]; और
- रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 को अपने अस्तित्व के 90वें वर्ष में प्रवेश किया। रिज़र्व बैंक के इतिहास में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को मनाने के लिए, वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा (पैराग्राफ XI.24)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.22 खेलों के लिए विजन दस्तावेज की समीक्षा और पुनः रूपरेखा तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

XI.23 डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन को सुदृढ़ किया जा रहा है जिससे कि इसे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ संरेखित किया जा सके और यह प्रक्रिया चल रही है।

XI.24 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया, जो रिज़र्व बैंक की नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं, जबकि आने वाले दशक (आरबीआई@100) के लिए कार्यनीतियों की ओर देख रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.25 रिज़र्व बैंक निरंतर कौशल वृद्धि और मानव संसाधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देता है। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थान (टीई) - चेन्नई स्थित रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी); पुणे स्थित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी); मुंबई स्थित कॉलेज ऑव सुपरवाईज़र्स (सीओएस); भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई); और मुंबई (बेलापुर), नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी) इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण अवसंरचना अपने कर्मचारियों की समग्र दक्षता और प्रभाविता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ उनके तकनीकी और व्यावहारिक कौशल दोनों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा सम्मेलनों के स्वरूप के होते हैं (सारणी XI.1)। रिज़र्व बैंक ने दो प्रमुख उपाय किए - वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, और मानसिक स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के तहत आंतरिक परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, जो किसी भी संकट के मामले में संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर सकते हैं।

XI.26 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी मेंटरिंग नीति (*सबल*) को सुदृढ़ करके कनिष्ठ और मध्यम प्रबंधन में अधिकारियों की मेंटरिंग पर जोर दिया और मेंटीज़ के लिए अभिमुखीकरण सत्र आयोजित किए और मेंटरों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि पुन: डिज़ाइन की गई मेंटरिंग नीति के लिए रूपरेखा निर्धारित की जा सके।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए 1,133 अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल-मार्च)

प्रशिक्षण संस्थान	2022-23		2023-24		2024-25	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नई	97	2,800 (12)	109	2,437 (42)	135	3,502 (245)
सीओएस#	59	2,212*	70	2,889 (1,191)	51	1,432 (218)
आरबीआई अकादमी$	15	1,274	17	683 (151)	20	506
सीएबी, पुणे	194	23,657*	281	44,053 (43,198)	238	35,969 (34,935)
ईसीसीटीआई	-	-	23	619 (22)	24	711
जेडटीसी (श्रेणी I)	112	2,511	118	2,260	105	2,203
जेडटीसी (श्रेणी III)	103	3,396	107	3,084	117	3,579
जेडटीसी (श्रेणी IV)	36	983	32	843	32	671

आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज। सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
ईसीसीटीआई: एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। जेडटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।
: कॉलेज ऑव सुपरवाइजर्स (सीओएस) यह प्रशासनिक मामलों में पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), केंद्रीय कार्यालय से संलग्न है।
$: 01 अप्रैल 2025 से बंद।
* : आंकड़ों में आरबीआई के प्रतिभागी, गैर-आरबीआई प्रतिभागी (घरेलू), विदेशी प्रतिभागी और/अथवा बाहरी संस्थानों के प्रतिभागी शामिल हैं।
- : लागू नहीं।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और / अथवा बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

अध्ययन योजनाएं

XI.28 कुल सात अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश योजना का लाभ उठाया था जिनमें से तीन अधिकारी विदेश में उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (अप्रैल - मार्च)

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2022-23	401	420 (266)
2023-24	570	390 (29)
2024-25	564	569 (86)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण का संकेत करते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

इसके अलावा, विदेश में पाठ्यक्रम करने के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति पुरस्कार 2024 के लिए आठ अधिकारियों का चयन किया गया।

अन्य पहल

अनुदान और दान (एंडॉमेंट)

XI.29 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹ 27.03 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल), मुंबई को ₹12.86 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹2.77 करोड़; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹ 0.84 करोड़ और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी

और आईजी पटेल चेयर को ₹ 0.83 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.30 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वर्ष 2024-25 के दौरान, एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय ने कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों और कल्याणकारी उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों की केंद्रीय इकाइयों के साथ 21 बैठकें आयोजित कीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने तिमाही/अर्धवार्षिक अंतरालों पर मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें भी आयोजित कीं।

कर्मचारियों के साथ चर्चा

XI.31 रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों को शामिल करने, उनके विचारों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने और संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सतत श्रवण संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। *वॉयस* (वॉयसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल) एक ऐसी पहल है जो कर्मचारियों को विभाग के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 6 *वॉयस* सत्र आयोजित किए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के 127 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इसी प्रकार, रिज़र्व बैंक की टाउनहॉल बैठक पहल (*वार्तालाप*) श्रवण-उन्मुख संगठनात्मक संस्कृति को पोषित करने और बेहतर नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को बढ़ावा देने में सफल रही है।

सारणी XI. 3: 2024 में रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली भर्तियाँ*

श्रेणी	कुल	*जिनमें से:*			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	269	34	20	72	26
श्रेणी III	296	37	38	97	29
श्रेणी IV	39	01	03	08	01
कुल	604	72	61	177	56

*: जनवरी - दिसंबर, 2024।
ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
स्रोत: आरबीआई।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

XI.32 वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 604 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.33 31 दिसंबर 2024 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,520 थी, जो दिसंबर 2023 के अंत की तुलना में 0.2 प्रतिशत अधिक थी (सारणी XI.4)।

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		ओबीसी		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	7,109	7,325	1,113	1,121	504	519	1,761	1,907	15.3	7.1	26.0
श्रेणी III	3,358	3,496	537	558	244	283	1,027	1,073	16.1	8.2	30.7
श्रेणी IV	3,023	2,699	521	428	242	215	943	890	16.0	8.0	33.0
कुल	**13,490**	**13,520**	**2,171**	**2,107**	**990**	**1,017**	**3,731**	**3,870**	15.7	7.5	28.6

*: दिसंबर की समाप्ति पर।
स्रोत: आरबीआई।

XI.34 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2024 को 1,087 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 326 रही (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2024 के दौरान, रिज़र्व बैंक में दो भूतपूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्लयूबीडी) 20 व्यक्तियों की भर्ती की गई।

XI.35 वर्ष 2024 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध कर्मचारियों के महासंघ के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच तीन बैठकें हुईं। अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.36 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में जारी व्यापक दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, नौ शिकायतें प्राप्त हुईं और आठ मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.37 वर्ष 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक को सूचना के लिए 21,043 अनुरोध और आरटीआई अधिनियम के तहत 1,764 अपीलें प्राप्त हुईं। आरटीआई अधिनियम पर 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 134 सत्र आयोजित किए गए।

आरबीआई के 90वें वर्ष का स्मरणोत्सव (आरबीआई@90)

XI.38 रिज़र्व बैंक ने 2024-25 के दौरान अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ मनाया, जो आने वाले दशक (आरबीआई@100) के लिए कार्यनीतियों को अवलोकित करते हुए रिज़र्व बैंक के नौ दशकों (आरबीआई@90) की विरासत को दर्शाते हैं।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी* की कुल संख्या

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)			
		दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता ('डी')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	260	72	16	95	4
श्रेणी III	253	42	2	38	1
श्रेणी IV	574	15	7	33	1

* : 31 दिसंबर, 2024 तक।

** : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, पीडब्ल्यूबीडी वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (क) अंधापन और कम दृष्टि; (ख) बधिर और कम सुनने वाला; (ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात सहित चलने-फिरने संबंधी विकलांगता, कुष्ठ रोग से उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय अपविकास; (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; और (घ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों के बीच से विभिन्न विकलांगता, जिसमें बहरा-अंधापन शामिल है।

स्रोत: आरबीआई।

XI.39 स्मरणोत्सव का शुभारंभ 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में एक उद्घाटन समारोह के साथ किया गया था। आरबीआई@90 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के हिस्से के रूप में, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे की - वैश्विक सम्मेलन[2], राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम[3] और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां[4]। समापन समारोह 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की माननीया राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थीं। आरबीआई@90 के दौरान गतिविधियों पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया और समारोह के दौरान माननीया राष्ट्रपति द्वारा इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करते हुए एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी किया गया।

रिज़र्व बैंक में सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

XI.40 रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार के अधीन है और केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत केंद्रीय सतर्कता कक्ष (सीवी कक्ष) और 52 शाखा सतर्कता इकाइयों के साथ द्वि-स्तरीय आधार पर संगठित है। रिज़र्व बैंक में सतर्कता कार्य के संबंध में समग्र जिम्मेदारी सीवी कक्ष में निहित है, जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और शाखा सतर्कता इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सतर्कता कक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ भी सम्पर्क बनाए रखता है। सतर्कता कक्ष की गतिविधियां/कार्य निम्नानुसार हैं:

ए. भ्रष्टाचार विरोधी और निवारक सतर्कता उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें अन्य के साथ-साथ आरओ/सीओडी/टीई के सतर्कता ऑडिट का संचालन, प्रमुख कार्यों की मुख्य तकनीकी परीक्षक लेखा परीक्षा और कर्मचारियों की संपत्ति/देयताओं के वार्षिक संपत्ति विवरणों की जांच शामिल है;

बी. जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 सहित सतर्कता मामलों की जांच, भिन्न स्रोतों से कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच;

सी. रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देना और 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाना और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और सजग करना;

[2] इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बैंकिंग और एनबीएफसी नेतृत्व, आईटी फर्मों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ), फिनटेक संस्थाओं और शिक्षाविदों की भागीदारी के साथ "डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज" (26-27 अगस्त, 2024, बेंगलुरु) शामिल हैं; "चौराहे पर केंद्रीय बैंकिंग" विषय पर उच्च स्तरीय सम्मेलन (14 अक्तूबर, 2024, नई दिल्ली) जिसमें प्रमुख केंद्रीय बैंकरों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञों, प्रमुख नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, प्रमुख घरेलू बैंकों के प्रमुखों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय बाजार सहभागियों को एक साथ लाया गया; और ग्लोबल साउथ में 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय नीति सम्मेलन (21-22 नवंबर, 2024, मुंबई), जिसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर, उप गवर्नर और ग्लोबल साउथ के अन्य केंद्रीय बैंक अधिकारी शामिल रहे।

[3] इसमें सभी संकायों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले स्नातक छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी; भारत में ललित कला के छात्रों के लिए कला प्रतियोगिता, जिसमें देश भर के 71 कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी के साथ रिज़र्व बैंक (22 अक्तूबर, 2024, आरबीआई नई दिल्ली कार्यालय) से जुड़े विषयों पर ध्यानकेंद्रित किया गया; भारतीय कला के विकास पर एक पैनल चर्चा, कला पर सोशल मीडिया का प्रभाव, डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ पारंपरिक चित्रकला रूपों का भविष्य, वैश्वीकरण का प्रभाव, कला से संबंधित मेले, द्विवार्षिक प्रदर्शनी आदि; और अखिल भारतीय स्तर पर अंतर-संस्थागत टूर्नामेंट (अर्थात, 3-10 अगस्त, 2024 के दौरान कोलकाता में फुटबॉल; 21-28 सितंबर, 2024 के दौरान जयपुर में क्रिकेट; 24-29 नवंबर, 2024 के दौरान चंडीगढ़ में टेबल टेनिस; और बैडमिंटन 2-5 जनवरी, 2025 के दौरान बेंगलुरु में टूर्नामेंट शामिल है।

[4] इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए टाउनहॉल, प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वार्ता, कला प्रतियोगिता और राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां, वृक्षारोपण अभियान (वर्ष के दौरान 245 वृक्षारोपण अभियान, 16,205 पौधे उगाए गए), और रक्तदान शिविर (रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में लगभग 2,237 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी के साथ 45 रक्तदान शिविर) शामिल हैं।

डी. सतर्कता मामलों पर आरओ/सीओडी/टीई को अनुदेश जारी करना और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करके सीवीसी के दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी का प्रसार; और

ई. संवेदनशील पदों, सहमत सूची, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों और सतर्कता स्वीकृति जारी करने के संबंध में सूचना का रखरखाव।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.41 वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल होंगी: रिज़र्व बैंक में कौशल की कमी की पहचान और विश्लेषण; और

- रिज़र्व बैंक में कौशल की कमी की पहचान और विश्लेषण।
- रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण और विकास परितंत्र में बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) ढांचे को एकीकृत करना (*उत्कर्ष 2.0*)।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 आरएमडी रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए तीन-स्तरीय आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचा में रक्षा की दूसरी पंक्ति[5] है और उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

XI.43 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में 'भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति' की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2019 में मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) को अपनाया था। समिति ने सिफारिश की थी कि ढांचा की हर पांच साल में समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। समिति की सिफारिश के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने मौजूदा ढांचा की व्यापक आंतरिक समीक्षा की है (बॉक्स XI.1)।

बॉक्स XI.1
भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) – आंतरिक समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक समष्टि आर्थिक माहौल; महामारी, वैश्विक लोक ऋण में वृद्धि, लगातार मुद्रास्फीति, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, दीर्घावधिक भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के कारण चुनौतीपूर्ण रहा है । ऐसे समय में जब कई केंद्रीय बैंकों ने आय और पूंजी बफर में कमी का अनुभव किया है; प्रतिकूल समष्टि आर्थिक घटनाएँ और ऊपर उल्लिखित अन्य चुनौतियों के बावजूद, ईसीएफ ने रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाया है, साथ ही सरकार को बेहतर अधिशेष का अंतरण सुनिश्चित किया है। समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि नियम-आधारित और सार्वजनिक रूप से प्रकट, ईसीएफ के लगातार कार्यान्वयन ने हितधारकों का विश्वास बनाने और रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता बनाए रखने की प्रतिबद्धता में भरोसा बढ़ाने में मदद की है।

समीक्षा में पाया गया कि मौजूदा ईसीएफ ने रिज़र्व बैंक के लिए एक सुदृढ़ तुलन पत्र सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया है और मौजूदा ईसीएफ और उसमें अपनाई गई जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों में अंतर्निहित व्यापक सिद्धांतों को जारी रखना प्रस्तावित किया है। हालाँकि, समीक्षा ने कुछ ऐसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जहाँ ढांचा को और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है, ताकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जा सके। मौजूदा ईसीएफ में प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(जारी)

[5] व्यक्तिगत व्यावसायिक क्षेत्र रक्षा की पहली पंक्ति हैं और मुख्य रूप से अपने संबंधित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति आरएमडी है, जो केंद्रीकृत जोखिम निगरानी कार्य करता है, और रक्षा की तीसरी पंक्ति निरीक्षण विभाग है, जो निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम आश्वासन की भूमिका निभाता है।

(i) बाजार जोखिम बफर आवश्यकता की गणना में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिसमें तुलन पत्र पोर्टफोलियो के साथ-साथ तुलन पत्रेतर पोर्टफोलियो को भी शामिल किया जाता है। छोटी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा आस्तियों में निवेश पर भी विचार किया जा सकता है;

(ii) केंद्रीय बोर्ड के पास अपेक्षित कमी (ईएस) के 99.5 प्रतिशत विश्वास स्तर (सीएल) और ईएस के 97.5 प्रतिशत सीएल की सीमा के भीतर किसी भी सुदृढ़ता के स्तर पर बाजार जोखिम बफर बनाए रखने और अपेक्षित बाजार जोखिम कारकों के अपने आकलन के आधार पर पुनर्मूल्यन जमाशेष में कमी के लिए जोखिम प्रावधान बनाए रखने की सुविधा होगी। मौजूदा ईसीएफ के तहत, अतिरिक्त जोखिम प्रावधान केवल तभी शुरू किया जाता था जब पुनर्मूल्यन जमाशेष ईएस से नीचे 97.5 प्रतिशत सीएल पर होते थे;

(iii) मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए बफर की सीमा को तुलन पत्र (बी/एस) आकार के 5.0 ± 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है (4.5 - 5.5 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले), जिससे केंद्रीय बोर्ड को मौजूदा समष्टि आर्थिक स्थितियों और अन्य कारकों के आकलन के आधार पर लचीलापन प्रदान किया जा सके;

(iv) परिणामस्वरूप, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी), जिसमें मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए बफर शामिल हैं, को बी/एस आकार के 6.0 ± 1.5 प्रतिशत की सीमा में बनाए रखा जाएगा (6.5 प्रतिशत के मौजूदा स्तर के मुकाबले, 5.5 प्रतिशत की निचली सीमा के साथ); और

(v) अधिशेष वितरण नीति के संबंध में, प्राप्त इक्विटी (आरआरई) की आवश्यकता से अधिक किसी भी उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) को आकस्मिकता निधि (सीएफ) से आय में वापस लिखा जा सकता है। यदि एआरई अपनी आवश्यकता की निचली सीमा से नीचे है, तो सरकार को कोई अधिशेष हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम आरआरई का न्यूनतम स्तर प्राप्त न हो जाए।

समीक्षित ईसीएफ को 2024-25 के लिए जोखिम प्रावधान आवश्यकता और अंतरणीय अधिशेष निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.44 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सभी व्यावसायिक क्षेत्रों (बीए) की अनुमोदित जोखिम सहिष्णुता सीमा (आरटीएल) का विश्लेषण करना जिससे कि अंतर-संबंधों की पहचान की जा सके और विभागों में समान आरटीएल के बाद के सामंजस्य की पहचान की जा सके (पैराग्राफ XI.45);
- रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति, 2022 में संशोधन करना ताकि मौजूदा नीति को और ठीक किया जा सके और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत विश्लेषकी के तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकीय अंगीकरण के मद्देनजर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके (पैराग्राफ XI.46);
- बाजार दबाव की ऐतिहासिक अवधि से प्राप्त परिदृश्यों के आधार पर विनिमय दर और ब्याज दर के एक साथ संचलन के संदर्भ में तुलन पत्र का दबाव परीक्षण, जो भविष्य के संभावित तनाव परिदृश्यों द्वारा संवर्धित हो (पैराग्राफ XI.47);
- ईआरएम की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना (*उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ XI.48]; तथा
- रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों का आकलन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.49]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.45 एक सामंजस्य कार्रवाई की गई जिसमें सभी कारोबारी क्षेत्रों के आरटीएल का विश्लेषण किया गया जिससे कि सामान्य/समान प्रक्रियाओं की पहचान की जा सके और जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) के अनुमोदन से इन प्रक्रियाओं के लिए समान सहिष्णुता सीमाएं व्यक्त की गई थीं।

XI.46 रिज़र्व बैंक की आईएस नीति, 2022 में संशोधन किया गया ताकि तेजी से उभरते प्रौद्योगिकीय अंगीकरण जैसे एआई, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और अभिशासन आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

XI.47 विनिमय दरों और ब्याज दरों में एक साथ उतार-चढ़ाव के आधार पर परिदृश्यों का उपयोग करते हुए तुलन-पत्र के दबाव परीक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है।

XI.48 रिज़र्व बैंक के ईआरएम ढांचा और प्रथाओं की बेंचमार्किंग कार्रवाई और जोखिम प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की तुलना से पता चला है कि यह प्रमुख रूप से अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों और वैश्विक रूप से स्वीकृत जोखिम पद्धतियों के अनुरूप था। जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए सिफारिशें, जो इस कार्रवाई से उत्पन्न हुईं, को ईआरएम 2.0 ढांचे में शामिल किया गया है।

XI.49 रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए उभरते जोखिम स्कैनिंग ढांचे को विकसित किया गया है। उभरते जोखिमों और ढांचे के परिचालन पर इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया है।

अन्य पहल

रिज़र्व बैंक का ईआरएम ढांचा

XI.50 आंतरिक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 2012 में अपनाए गए ईआरएम ढांचे में समय के साथ और सुधार किया गया है और इससे रिज़र्व बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत संरचना का निर्माण हुआ है (बॉक्स XI.2)।

बॉक्स XI.2
रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) – एक दशक से अधिक अवधि के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव

रिज़र्व बैंक का ईआरएम ढांचा सुदृढ़ अभिशासन के सिद्धांतों (अर्थात, सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन भूमिकाएं और दायित्व, स्वतंत्र रिपोर्टिंग लाइन और बोर्ड निरीक्षण); अनुपातिकता (अर्थात, परिचालन वातावरण और जोखिम प्रोफाइल के साथ जोखिम प्रबंधन); जवाबदेही (अर्थात, स्पष्ट अधिदेश और सुपरिभाषित जोखिम सहनीयता); पारदर्शिता और प्रभावी संचार (यानी, समय पर निगरानी और रिपोर्टिंग, फीडबैक लूप)। जोखिम प्रबंधन ढांचे को एक अनुकूल जोखिम संस्कृति के माध्यम से समर्थित किया जाता है, जिसमें स्टाफ-सदस्यों के बीच जोखिम जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु उपयुक्त 'टोन फ्रॉम द टॉप' और अन्य गतिविधियां शामिल है।

ईआरएम ढांचे को लागू करने के बाद से 13 वर्षों की अवधि में, रिज़र्व बैंक में आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं काफी परिपक्व हो गई हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- केंद्रीय निदेशक बोर्ड, लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति और आरएमसी के माध्यम से आंतरिक जोखिमों के निरीक्षण और अभिशासन के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया गया है। ये सामूहिक रूप से त्रिस्तरीय जोखिम अभिशासन संरचना बनाते हैं।
- जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करते हुए भूमिकाओं के स्पष्ट पृथक्करण के साथ जोखिम प्रबंधन संरचना की त्रिस्तरीय रक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन करना।
- उद्यम-व्यापी जोखिम सहनीयता विवरणी और कार्यात्मक इकाई-स्तरीय जोखिम सहन सीमाओं (आरटीएल) के माध्यम से जोखिम सिद्धान्त, जोखिम क्षमता और जोखिम सहनीयता के रूप में संस्थागत संरचना को स्थापित करना।
- दिशानिर्देशों और प्रविधियों को लागू करना, जो समान पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन, माप और जोखिमों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करते हैं (सारणी-1)।

(जारी)

- संगठन-स्तर और कारोबारी क्षेत्र (बीए)-स्तर की निगरानी के लिए जोखिमों की रिपोर्टिंग और एकत्रीकरण और जोखिम की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा विकसित करना (सारणी-1)।

ईआरएम ढांचे के कार्यान्वयन पर हाल ही में किए गए आंतरिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि इस ढांचे ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है और संगठनात्मक मूल्य को बढ़ाया है। ईआरएम ढांचे पर आधारित आंतरिक जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों को केंद्रीय बैंकिंग, यूके ने रिज़र्व बैंक को 'वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक' पुरस्कार देकर मान्यता दी। ईआरएम 2.0 ढांचा ईआरएम 1.0 के माध्यम से स्थापित संस्थागत वास्तुकला और संगठनात्मक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने का प्रयास करता है।

सारणी 1: दिशा-निर्देश, कार्य-उपकरण और प्रविधि - ईआरएम ढांचा

पहचान और वर्गीकरण	मूल्यांकन	प्रबंधन	रिपोर्टिंग	एकत्रीकरण
1	2	3	4	5
1. जोखिम वर्गीकरण 2. जोखिम रजिस्टर ढांचा	1. जोखिम आकलन प्रविधि - परिचालन जोखिम (आरएएम-ओआर) 2. जोखिम आकलन ढांचा/परिदृश्य विश्लेषण/दबाव परीक्षण ए) ऋण जोखिम बी) चलनिधि जोखिम सी) ब्याज दर जोखिम डी) विनिमय दर जोखिम 3. आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) ए) बाजार जोखिम - अपेक्षित कमी बी) ऋण जोखिम - बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण सी) परिचालन जोखिम - बेसल III मानकीकृत दृष्टिकोण	1. जोखिम सहन सीमाएँ 2. प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचे : ए) मॉडल जोखिम बी) आउटसोर्सिंग जोखिम सी) प्रतिष्ठा जोखिम डी) ट्रांसवर्सल जोखिम ई) प्रमुख जोखिम एफ) नीति जोखिम जी) सूचना सुरक्षा	1. घटना रिपोर्टिंग ढांचा 2. निगरानी मॉड्यूल	1. जोखिम डैशबोर्ड ए) लोक जोखिम बी) परियोजना जोखिम सी) भौतिक बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा जोखिम डी) आईटी और साइबर जोखिम 2. जोखिम रिपोर्ट ए) आंतरिक जोखिम अभिशासन पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट बी) कार्यकारी जोखिम रिपोर्ट सी) जोखिम और उपलब्ध जोखिम बफर पर रिपोर्ट

स्रोत: आरबीआई।

जोखिम जागरूकता सप्ताह (आरएडब्ल्यू)

XI.51 रिज़र्व बैंक में जोखिम जागरूकता सप्ताह का पहला संस्करण 22-26 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य जोखिम जागरूकता कार्यक्रमों के बड़े संगठनात्मक ढांचे के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक में जोखिम जागरूकता का प्रचार करना और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस पहल ने विभाग को कर्मचारियों तक सक्रिय रूप से पहुंचने और जोखिम जागरूकता और जोखिम संस्कृति का संदेश देने में सक्षम बनाया है। आगे चलकर जोखिम जागरूकता सप्ताह को वार्षिक आधार पर आयोजित करने की योजना है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.52 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- घटनाओं की रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर तैयार करने के लिए जनवरी 2020 में शुरू किए गए एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) एप्लिकेशन को नवीकृत किया जाएगा जिससे कि एक व्यापक जोखिम रिपोजिटरी और अन्य उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरणों को शामिल किया जा सके ताकि उपयोगकर्ता अनुभव और दक्षता को बढ़ाया जा सके।

- संशोधित आईएस नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन प्रक्रियाएं सर्वोत्तम सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रथाओं के अनुरूप जारी की जाएंगी; और
- बाजार चलनिधि दबाव की ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न परिदृश्यों का निर्माण करके रिज़र्व बैंक के बाजार पोर्टफोलियो के चलनिधि जोखिम दबाव परीक्षण करने के लिए एक ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे ब्याज दर और विनिमय दर जोखिम के लिए दबाव परीक्षण के ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण

XI.53 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करता है और आरबीआईए ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में ईआरएम कार्य के तहत सुरक्षा की तीसरी पंक्ति (अर्थात, जोखिम आश्वासन) के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को रिपोर्ट करता है। यह विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) के कामकाज की देखरेख भी करता है। यह विभाग केंद्रीय बोर्ड के एआरएमएस के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करके कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है। इसके अलावा, पांच अंचलों में आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई) विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में लेखा परीक्षित कार्यालयों (एओ) की सहायता करते हैं और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के परिचालन पर शीर्ष प्रबंधन को एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विभाग की सहायता करते हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.54 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लेखा परीक्षित इकाइयों द्वारा किए गए परिचालनों के "मूल तत्व" और "महत्ता" के आधार पर मौजूदा आरबीआईए को ठीक करना और प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना (पैराग्राफ XI.55);
- रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए जेडआई की कार्यपद्धति की समीक्षा (पैराग्राफ XI.56); और
- सीएसएए की प्रभाविता और दक्षता पर विषयगत अध्ययन करना (पैराग्राफ XI.57)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.55 लेखा परीक्षित इकाइयों द्वारा किए गए प्रचालनों के "मूल तत्व" और "महत्ता" के आधार पर, कार्य आबंटन मैट्रिक्स को परिचालित कर दिया गया है और जोखिम स्कोरिंग प्रविधि को भी समायोजित (कैलिब्रेट) किया गया है।

XI.56 आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने के साथ-साथ आंचलिक निरीक्षणालयों के कामकाज पर एक अध्ययन किया गया और इसे केंद्रीय बोर्ड के ईडीसी और एआरएमएस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

XI.57 सीएसएए की प्रभाविता और दक्षता पर एक विषयगत अध्ययन आयोजित किया गया और शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत किया गया। बाद में, सीएसएए पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।

प्रमुख गतिविधि

XI.58 विभाग ने अपने द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं को वर्ष 2024-25 के दौरान अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पहले एएमएस में एकीकृत करने का कार्य पूरा किया (बॉक्स XI.3)।

बॉक्स XI.3
लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस)

एएमएस प्रणाली रिज़र्व बैंक में विभिन्न प्रकार की आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली (एएमएस) विभाग द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं के लिए एंड-टू-एंड समाधान, लेखा परीक्षा के संपूर्ण जीवनचक्र (लाइफ साइकिल) के भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा, यह प्रणाली विस्तार करने योग्य है और एनालिटिक्स एवं कस्टमाइज़ेशन योग्य डैशबोर्ड के माध्यम से शीर्ष प्रबंध तंत्र को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है।

विभाग में एएमएस प्रणाली का प्रारम्भ पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) के उन्नयन के माध्यम से किया गया था। शुरुआत में इस प्रणाली में विभाग की केवल प्रमुख गतिविधियां अर्थात, आरबीआईए और सीएसएए शामिल की गई थीं।

बाद में अन्य मॉड्यूल, अर्थात् - परियोजना लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को विकसित किया गया और इन्हें उक्त प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। आंचलिक निरीक्षणालयों (ज़ेडआई) की शुरुआत के साथ, इसमें ज़ेडआई मॉड्यूल को भी विकसित और एकीकृत किया गया। 31 मार्च 2025 तक विभाग द्वारा की गई सभी लेखा परीक्षाओं का पूरा वर्क-फ़्लो एएमएस प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.59 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के उपाय;
- निरीक्षण विभाग के चार्टर का निर्माण;
- आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में एआई और एमएल को अपनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन; और
- निम्नलिखित पर विषयगत अध्ययन करना: (i) वार्षिक रखरखाव संविदाओं (एएमसी)/करारों के कार्यान्वयन की स्थिति से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण (ii) आपदा से उबरने से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं और कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) का पालन और (iii) अभिलेखीय और रिकॉर्ड प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की स्थिति।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.60 सीएसबीडी रिज़र्व बैंक के मध्यावधिक कार्यनीति ढांचे (*उत्कर्ष*) का समन्वय और निर्माण करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है, और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से व्यय की निगरानी करता है। विभाग रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उसकी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) भी तैयार और निष्पादित करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित चार संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न अधिवर्षिता और कर्मचारी कल्याण निधियों का भी रखरखाव करता है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.61 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक की समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) की त्रैवार्षिक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.62];
- रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रणालियों की समीक्षा (पैराग्राफ XI.63);
- *उत्कर्ष* 2.0 की मध्यावधिक समीक्षा (पैराग्राफ XI.64);
- बजट रेटिंग ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ XI.64); और
- बजट इकाइयों के बजट प्रबंधन की समीक्षा (पैराग्राफ XI.64)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.62 रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण करके टीएससीए की त्रैवार्षिक समीक्षा की गई। टीएससीए को कारोबार निरंतरता समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और रिज़र्व बैंक की जोखिम निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

XI.63 रिज़र्व बैंक में बीसीएम प्रणालियों की समीक्षा की गई। बीसीएम प्रक्रियाओं और प्रणाली के डिजिटलीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए, विभाग ने एक डैशबोर्ड के विकास की दिशा में काम शुरू किया है जो मौजूदा मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने के लिए आपदा/संकट के दौरान तत्समय चेतावनी प्रदान करेगा।

XI.64 *उत्कर्ष 2.0* की मध्यावधि समीक्षा पूरी की गई। बजट इकाइयों के लिए रेटिंग ढांचे की समीक्षा की गई, और अद्यतन रेटिंग ढांचा जारी किया गया। ई-कुबेर प्रणाली के बजट मॉड्यूल में बजट इकाइयों के लिए बजट प्रबंधन के लिए नई सुविधाएं प्रदान की गईं।

प्रमुख गतिविधियां

XI.65 31 दिसंबर 2025 तक पूरे होने वाले *उत्कर्ष* 2.0 के 150 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से 118 महत्वपूर्ण लक्ष्य (78.7 प्रतिशत) पूरे हो गए और शेष 32 महत्वपूर्ण लक्ष्य (21.3 प्रतिशत) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थे। इसके अतिरिक्त, 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य 31 मार्च 2025 को इसके निर्धारित समय से पहले पूरे हो गए। '*उत्कर्ष*' पोर्टल में नई सुविधाएं भी लाई गईं, जिससे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति की बेहतर निगरानी की जा सके।

XI.66 सीएसबीडी, रिज़र्व बैंक के बीसीएम ढांचे के लिए नोडल विभाग होने के नाते, रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएससीए की समीक्षा करके, आपदा से उबरने (डीआर) संबंधी अभ्यास का आकलन करके और रिज़र्व बैंक की विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के प्रदर्शन से कारोबार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया।

XI.67 विभाग ने रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी चार संस्थानों अर्थात कैफरल, आईजीआईडीआर, आईआईबीएम और एनआईबीएम के अभिशासन को उनके नियंत्रण बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों, प्रमुख गतिविधियों की तिमाही निगरानी और उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करने के माध्यम से सुदृढ़ करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, शिक्षण गतिविधियों और वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए उप-समितियों का गठन करके सीएएफआरएएल की अभिशासन संरचना को और सुव्यवस्थित किया गया।

XI.68 विभाग द्वारा स्वचालित, कार्यप्रवाह और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के सृजन के लिए अपने मौजूदा कोर बैंकिंग समाधान (*ई-कुबेर*) में मॉड्यूलों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में विभिन्न आईटी पहलें की गईं।

XI.69 रिज़र्व बैंक की कार्यनीति, कारोबार निरंतरता और बजट दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, प्रशिक्षण संस्थाओं सहित विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.70 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बीसीएम सिस्टम के लिए डैशबोर्ड का विकास;
- *उत्कर्ष 2.0* की समीक्षा;
- *उत्कर्ष 3.0* का निरूपण; और
- रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी चार संस्थाओं में प्रदेय (डिलिवरेबल्स) की प्रभाविता को बढ़ाना।

7. राजभाषा

XI.71 रिज़र्व बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। बैंक का राजभाषा विभाग एक व्यापक कार्य योजना और प्रभावी निगरानी-तंत्र के जरिये बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है, इसमें राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा नियम, 1976; भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी निदेशों तथा भारत सरकार के निदेशों; और संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों का अनुपालन शामिल है। हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्याख्यानों तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसी लक्षित गतिविधियों के माध्यम से विभाग ने बैंक में हिंदी के व्यापक प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को कारगर तरीके से आगे बढ़ाया।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

XI.72 विभाग ने वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या में दिसंबर 2024 तक 120 अतिरिक्त अनुभागों को जोड़कर उन्हें बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.73];
- 'पारंगत' पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करके हिंदी में प्रवीणताप्राप्त स्टाफ-सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना (पैराग्राफ XI.73);
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.74);
- रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के संकाय सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करना (पैराग्राफ XI.74);
- आरबीआई@90 के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद (डिबेट) प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ताकि इन विषयों पर जागरूकता फैलाई जा सके (पैराग्राफ XI.75);
- नवनियुक्त स्टाफ-सदस्यों के लिए हिंदी का अनिवार्य कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना (पैराग्राफ XI.75);
- राजभाषा अधिकारियों के लिए विभिन्न राजभाषा निरीक्षणों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75); और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.75)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.73 संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए कुल 120 अनुभागों को विनिर्दिष्ट करने संबंधी लक्ष्य के सापेक्ष कुल 145 अतिरिक्त अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्ष के दौरान, कुल 298 अतिरिक्त स्टाफ-सदस्यों को 'पारंगत' प्रक्षिक्षण दिया गया।

XI.74 माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों / प्रभारी अधिकारियों के लिए दिनांक 22 और 23 सितंबर 2024 के दौरान मध्य प्रदेश के पेंच में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों से 23 क्षेत्रीय निदेशकों और प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया। सीएबी, पुणे और आरबीएससी, चेन्नई के संकाय सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रमशः 16 अगस्त 2024 और 20 अगस्त 2024 को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

XI.75 आरबीआई@90 के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में पदस्थ अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद (डिबेट)

प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान कुल 129 अतिरिक्त कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें नए भर्ती हुए स्टाफ-सदस्य भी शामिल थे। राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षणों से जुड़े विषयों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18-19 जुलाई 2024 के दौरान सीएबी, पुणे में आयोजित किया गया। दिनांक 10-12 फरवरी 2025 और 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 के दौरान सीएबी, पुणे में राजभाषा अधिकारियों के लिए दो संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रमुख गतिविधियां

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रिज़र्व बैंक के दौरे :

XI.76 माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को रिज़र्व बैंक के हैदराबाद कार्यालय का निरीक्षण किया।

प्रशिक्षण/ सम्मेलन

XI.77 रिज़र्व बैंक के स्टाफ-सदस्यों के विभिन्न समूहों की जरूरतों के अनुसार वर्ष के दौरान उनके लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिनांक 31 जनवरी से 01 फरवरी 2025 के दौरान राजगीर, बिहार में राजभाषा सम्मेलन और राजभाषा हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

प्रकाशन

XI.78 विभाग की अर्धवार्षिक पत्रिका 'कृति-अनुकृति' का प्रकाशन किया गया। यह पत्रिका केंद्रीय कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित की गई राजभाषा संबंधी प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रकाशित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े समसामयिक विषयों को शामिल करते हुए हिंदी पत्रिका *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* के दो संस्करण भी प्रकाशित किए गए।

रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90वें वर्ष का स्मारक उत्सव

XI.79 आरबीआई@90 के तत्वावधान में 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद (डिबेट) प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय/ क्लस्टर-स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने भाग लिया।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.80 विभाग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करने की योजना बनाई है;

- राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना;
- रिज़र्व बैंक के निजी सचिवों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना;
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/ प्रभारी अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना; और
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों के स्टाफ-सदस्यों द्वारा उनकी हिंदी ई-हाउस पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख/रचनाओं में से चुनिंदा रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए एक नई पत्रिका का प्रकाशन करना।

8. परिसर विभाग

XI.81 परिसर विभाग का विज़न रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुकला की उत्कृष्टता और सौंदर्य-बोध को ग्रीन रेटिंग के साथ सुमेलित करते हुए 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक अवसंरचनाओं का निर्माण करना है, साथ ही इन परिसरों में सर्वोच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

2024-25 की कार्यसूची

XI.82 वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दिसंबर 2024 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.83);

- रायपुर कार्यालय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.84);
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना के स्तर पर स्थित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना (पैराग्राफ XI.84); और
- मुंबई में आवासीय परिसर का अधिग्रहण कार्य पूर्ण करना (पैराग्राफ XI.84)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.83 दिसंबर 2025 तक कम से कम 9 कार्यालय भवनों और 16 आवासीय इमारतों के लिए आईजीबीसी/ जीआरआईएचए[6] द्वारा संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में, दिसंबर 2024 तक 11 कार्यालय भवनों और 13 आवासीय इमारतों के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त की जा चुकी है। दिसंबर 2024 (आधार वर्ष जून 2018) तक कुल ऊर्जा खपत के 7 प्रतिशत तक की ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में, दिसंबर 2024 तक सभी कार्यालय परिसरों में कुल 8.3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त अवधि के लिए निर्धारित 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य के समक्ष दिसंबर 2024 तक 10.4 प्रतिशत की ऊर्जा बचत का लक्ष्य प्राप्त किया है।

XI.84 रायपुर में कार्यालय भवन का निर्माण अग्रिम चरण में है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न अन्य निर्माण परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है, ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

XI.85 रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। मार्च 2025 के अंत तक, 29 कार्यालय परिसरों और 61 आवासीय कोलोनियों में 4,650 kWp (किलोवाट-पीक) के बिजली उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

अन्य पहल

XI.86 विभाग विभिन्न श्रेणियों के तहत अलग-अलग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) से परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएँ प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश रहा है।

XI.87 विभाग विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित संपदा विभागों के स्टाफ-सदस्यों के कौशल संवर्धन को प्राथमिकता दे रहा है, इसमें अचल संपत्ति नीति, एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा से जुड़े कार्य, सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद, परिसंपत्तियों का केंद्रीकृत बीमा, उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिचय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, कवर किया गया है।

XI.88 विभाग ने अपनी खरीद नीति और अधिशेष संपत्ति के निपटान की नीति को संशोधित किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक डेटा प्रस्तुत करने संबंधी एक नए मॉड्यूल को जोड़कर ग्रीन[7] डेटा प्लेटफ़ॉर्म को और भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा, एमआईएस में सुधार के एक हिस्से के रूप में 'परिदृष्टि' नामक एक परियोजना डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

XI.89 वर्ष 2025-26 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दिसंबर 2025 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;

[6] इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)/ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)

[7] ऊर्जा दक्षता/ संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त *उत्कर्ष* डेटा और अन्य हरित पहलों और ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा पर जानकारी के समेकन और विश्लेषण के लिए आरईबीआईटी के परामर्श से जीआरईईएन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और नीर संरक्षण) नामक एक वेब आधारित प्लैटफ़ार्म विकसित किया गया है।

- रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त कार्यालय/ आवासीय स्थान सुनिश्चित करने का प्रयास करना; और
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।

9. निष्कर्ष

XI.90 रिज़र्व बैंक ने, अपनी स्थापना के 90वें वर्ष को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इस उपलक्ष्य में वर्ष भर कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच अधिक सामंजस्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों के साथ-साथ नई भर्तियों और प्रशिक्षणों के माध्यम से बैंक के मानव संसाधन को और मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक ने ईआरएम, आरबीआईए और कारोबार निरंतरता ढांचे को और सुदृढ़ बनाकर अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन को और प्रभावी बनाया। राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम से जुड़े सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया, जबकि परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक अवसंरचनाओं के निर्माण से जुड़े अपने प्रयासों को जारी रखा।

अनुबंध

सारणी XI.1: दिनांक 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास$	8(1)(क)	4	4
संजय मल्होत्रा%	8(1)(क)	3	3
माइकल देवब्रत पात्र@	8(1)(क)	5	5
एम. राजेश्वर राव	8(1)(क)	7	7
टी. रबी शंकर	8(1)(क)	7	7
स्वामीनाथन जे.	8(1)(क)	7	6
रेवती अय्यर	8(1)(ख)	7	7
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(ख)	7	6
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(ग)	7	7
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(ग)	7	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(ग)	7	2
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(ग)	7	4
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(ग)	7	4
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(ग)	7	6
अजय सेठ	8(1)(घ)	7	5
विवेक जोशी*	8(1)(घ)	2	1
नागराजू मद्दीराला#	8(1)(घ)	5	4

$: 10 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।
%: 11 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।
@: 14 जनवरी 2025 तक उप गवर्नर रहे।
*: 29 अगस्त 2024 तक निदेशक रहे।
#: निदेशक, 30 अगस्त 2024 से प्रभावी।

सारणी XI.2: दिनांक 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास$	8(1)(क)	32	25
संजय मल्होत्रा%	8(1)(क)	13	12
माइकल देवब्रत पात्र@	8(1)(क)	36	27
एम. राजेश्वर राव	8(1)(क)	45	41
टी. रबी शंकर	8(1)(क)	45	43
स्वामीनाथन जे.	8(1)(क)	45	41
रेवती अय्यर	8(1)(ख)	17	17
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(ख)	26	26
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(ग)	34	34
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(ग)	14	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(ग)	11	8
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(ग)	15	15
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(ग)	23	23
रवींद्र एच. ढोलकिया	8(1)(ग)	41	41

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास$	अध्यक्ष	8	7
संजय मल्होत्रा%	अध्यक्ष	4	4
स्वामीनाथन जे.	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	9	6
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	12	11
टी. रबी शंकर	सदस्य	12	12
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	12	9
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	10
रवींद्र एच. ढोलकिया	सदस्य	12	9
रेवती अय्यर	सदस्य	12	9
III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास$	अध्यक्ष	1	1
संजय मल्होत्रा%	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर	उपाध्यक्ष	2	2
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	2	2
स्वामीनाथन जे.	सदस्य	2	2
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
रवींद्र एच. ढोलकिया	सदस्य	2	2

$: 10 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में पदभार छोड़ दिया।

%: 11 दिसंबर 2024 को गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला।

@: 14 जनवरी 2025 तक उप गवर्नर रहे।

सारणी XI.3: दिनांक 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 के दौरान बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	7	5
वेणु श्रीनिवासन^	सदस्य	7	1
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	7	0
स्वामीनाथन जे.	सदस्य	7	7

^: 4 अप्रैल, 2025 तक सदस्य

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
पंकज रमणभाई पटेल	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	1	1
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा	अध्यक्ष	2	1
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	2	2
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	3	3
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	3	3
V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	शून्य	शून्य
माइकल देवब्रत पात्र@	सदस्य	शून्य	शून्य
स्वामीनाथन जे.&	सदस्य	शून्य	शून्य
वेणु श्रीनिवासन	सदस्य	शून्य	शून्य

@: 14 जनवरी, 2025 तक उप गवर्नर।

&: 15 जनवरी 2025 से सदस्य।

सारणी XI.4: दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025* के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के स्थान पर केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	8	8

*: केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के स्थान पर कार्य कर रही है।

टिप्पणी: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गईं।